रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062020-220108
CG-DL-E-23062020-220108

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/आषाढ़ 2, 1942
No. 306] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ASHADHA 2, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2020

सं. 16/2020-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 397(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, वियतनाम और कोरिया गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "एल्यूमिनियम और जिंक एलाय प्लेटेड या कोटेड फ्लैट रोल्ड स्टील प्रोडक्ट", (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7210, 7212, 7225 या 7226 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में अधिसूचना संख्या 6/4/2019-डीजीटीआर, दिनांक 15 जुलाई, 2019, जिसे 15 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने प्राथमिक निष्कर्षों में विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 40/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 अक्तूबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 786 (अ), दिनांक 15 अक्तूबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था ;

और जहां कि उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/4/2019-डीजीटीआर, 21 फरवरी, 2020, जिसे दिनांक 21 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि–

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत को निर्यात इससे संबंधित सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई;

(ii) विषयगत देश से विषयगत वस्तु की होने वाली इस प्रकार की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से हुई फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने यहां के घरेलू उद्योग को हुई ऐसी क्षति को दूर करने के लिए डंम्पिग मार्जिन और इंजुरी मार्जिन में से जो भी कम हो उसके बराबर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कराधान और अन्य नियम (कतिपय प्रावधानों से शिथिलता) अध्यादेश, 2020 (2020 का 2) की धारा 6 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षकों के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित हैं पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से , कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है -

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	7210, 7212, 7225 या 7226	एल्यूमिनियम और जिंक एलाय प्लेटेड या कोटेड फ्लैट रोल्ड स्टील प्रोडक्ट (एल्यूमिनियम और जिंक के ऐसे एलाय में एक या एक से अधिक अतिरिक्त तत्व हो सकते हैं जो कि अकेले या संयुक्त रूप से भार के हिसाब से 3% से अधिक नहीं होंगे)	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	डांगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड	14.30	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
2.	-तदैव-	-तदैव-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	पोस्को	56.96	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
3.	-तदैव-	-तदैव-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	पोस्को कोटेड एंड कलर स्टील कंपनी, लिमिटेड	56.96	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन

क्र.सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	इकाई
4.	-तदैव-	-तदैव-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	डोंगबू स्टील कंपनी, लिमिटेड	13.07	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
5.	-तदैव-	-तदैव-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1, 2 3 और 4 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई अन्य उत्पादक	84.47	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
6.	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देश से भिन्न कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	84.47	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
7.	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम समेत कोई भी अन्य देश	टोंगडोंग ए कार्पोरेशन	23.63	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
8.	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम समेत कोई भी अन्य देश	होआ सेन ग्रुप	46.87	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
9	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम समेत कोई भी अन्य देश	टेय नेम स्टील मैन्युफेक्चरिंग एंड ट्रैडिंग कंपनी, लिमिटेड	48.96	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
10.	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम समेत कोई भी अन्य देश	नेम किम स्टील ज्वाइंट कंपनी	81.30	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
11	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम समेत कोई भी अन्य देश	क्रम संख्या 7, 8, 9 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई अन्य उत्पादक	173.10	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
12	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों से भिन्न कोई अन्य देश	वियतनाम	कोई भी	173.10	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
13	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेझिंआग हुवाडा न्यू मैट्रियल कंपनी, लिमिटेड	56.48	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन

क्र.सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	इकाई
14	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेझिंआग हुवाडा न्यू मैट्रिरियल कंपनी, लिमिटेड से भिन्न कोई अन्य उत्पादक	128.93	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
15	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	काई भी	128.93	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन

उपर्युक्त सारणी के कॉलम (3) में विषयगत वस्तु में निम्नलिखित उत्पाद नहीं आते हैं :-

(क) बिना अतिरिक्त एल्यूमिनियम के जिंक कोटेड फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद ;

(ख) बिना अतिरिक्त जिंक के एल्यूमिनियम कोटेड फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद ; और

(ग) प्रि-प्रिंटिड या कलर कोटेड एल्यूमिनयिम जिंक एलाय कोटेड स्टील शीट (प्रि-कोटेड एसजीएल शीट्स)

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख अर्थात 15 अक्तूबर, 2019 से 5 वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं होता है या इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क उक्त अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने की तारीख अर्थात 15 अप्रैल, 2020 से लेकर जिस दिन इस अधिसूचना का प्रकाशन सरकारी राजपत्र में होता है उस दिन के तत्काल पूर्व की अवधि तक लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/109/2019–टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2020

No. 16/2020-CUSTOMS (ADD)

G.S.R. 397(E).—Whereas, in the matter of import of 'Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under headings 7210, 7212, 7225 and 7226 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act), originating in, or exported from People's Republic of China, Vietnam and Republic of Korea (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority *vide* its preliminary findings No. 6/4/2019 DGTR, dated the

15th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15th July, 2019, had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from subject countries;

And whereas, on the basis of aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed the provisional anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 40/2019 Customs (ADD), dated the 15th October, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S. R. 786 (E), dated the 15th October, 2019;

And whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/4/2019 DGTR, dated the 21st February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 21st February, 2020, has come to conclusion that-

(i) the subject goods have been exported to India from subject countries below its associated normal value, thus resulting in dumping;

(ii) the domestic industry has suffered material injury due to dumping of the subject goods from the subject countries;

(iii) the material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in pursuance of section 6 of the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (2 of 2020), the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under headings of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a definitive anti-dumping duty at the rate equal to the amount specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (8), and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9), of the said Table:-

TABLE

Sl. No.	**Heading/ Sub-Heading**	**Description of Goods**	**Country of Origin**	**Country of Export**	**Producer**	**Duty Amount**	**Currency**	**Unit**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	7210, 7212, 7225 and 7226	Flat rolled product of steel plated or coated with alloy of Aluminum and Zinc (this alloy of Aluminum and Zinc may contain one or more additional elements which in individual or in combination shall not exceed 3% by weight.)	Republic of Korea	Any country including Republic of Korea	Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.	14.30	United States Dollar	Metric Tonne
2.	do	do	Republic of Korea	Any country including Republic of Korea	POSCO	56.96	United States Dollar	Metric Tonne

Sl. No.	Heading/ Sub-Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
3.	do	do	Republic of Korea	Any country including Republic of Korea	POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd.	56.96	United States Dollar	Metric Tonne
4.	do	do	Republic of Korea	Any country including Republic of Korea	Dongbu Steel Co., Ltd.	13.07	United States Dollar	Metric Tonne
5.	do	do	Republic of Korea	Any country including Republic of Korea	Any other producer other than serial no. 1, 2, 3, and 4	84.47	United States Dollar	Metric Tonne
6.	do	do	Any country other than subject countries	Republic of Korea	Any	84.47	United States Dollar	Metric Tonne
7.	do	do	Vietnam	Any other country including Vietnam	Ton Dong A Corporation	23.63	United States Dollar	Metric Tonne
8.	do	do	Vietnam	Any other country including Vietnam	Hoa Sen Group	46.87	United States Dollar	Metric Tonne
9	do	do	Vietnam	Any other country including Vietnam	Tay Nam Steel Manufacturing & Trading Co., Ltd	48.96	United States Dollar	Metric Tonne
10.	do	do	Vietnam	Any other country including Vietnam	Nam Kim Steel Joint Company	81.30	United States Dollar	Metric Tonne
11	do	do	Vietnam	Any country including Vietnam	Any other producer other than serial no. 7, 8, 9 and 10	173.10	United States Dollar	Metric Tonne
12	do	do	Any country other than subject countries	Vietnam	Any	173.10	United States Dollar	Metric Tonne
13	do	do	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd.	56.48	United States Dollar	Metric Tonne

Sl. No.	Heading/ Sub-Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
14	do	do	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any other producer other than Zheijiang Huada New Materials Co., Ltd.	128.93	United States Dollar	Metric Tonne
15	do	do	Any country other than subject countries	People's Republic of China	Any	128.93	United States Dollar	Metric Tonne

The subject goods mentioned in column (3) in the above Table do not include the following products: -

(a) flat rolled steel products coated with Zinc without addition of Aluminium;

(b) flat rolled steel products coated with Aluminium without addition of Zinc; and

(c) pre-painted or colour coated Aluminium Zinc alloy coated steel sheets (Pre-coated SGL sheets).

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, the 15th October, 2019 and shall be payable in Indian currency:

Provided that the said anti-dumping duty shall not be levied for the period commencing from the date of the lapse of the provisional anti-dumping duty, that is the 15th April, 2020 up to the preceding day of the publication of this notification in the Official Gazette.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/109/2019 –TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.23 20:52:54 +05'30'